

**भारत सरकार**  
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 3699**  
24.03.2025 को उत्तर के लिए

**गिद्धों की संख्या में गिरावट**

**3699. डॉ. रानी श्रीकुमार:**

क्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की देश में गिद्धों की संख्या में विशेष रूप से डाइक्लोफेनाक जैसी पशु चिकित्सा दवाओं के उपयोग के कारण उल्लेखनीय गिरावट की जानकारी है;
- (क) यदि हां, तो पिछले दशकों में तमिलनाडु में गिद्धों की संख्या के रूझान के विशिष्ट आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और इनके लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए कोई प्रावधान है;
- (ग) सरकार द्वारा गिद्धों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हानिकारक पशु चिकित्सा दवाओं के उपयोग की निगरानी और विनियमन के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
- (घ) पशु चिकित्सकों और पशुपालकों को गिद्धों पर कुछ पशु चिकित्सा दवाओं के प्रभाव और सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी के लिए शुरू किए गए किसी जन जागरूकता अभियान का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**  
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

- (क) से (घ): मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1990 के दशक के दौरान गिद्धों की तीन प्रजातियों, अर्थात् जिप्स इंडिक्स, जिप्स बंगालेंसिस और जिप्स टेनुइरोस्ट्रिस की संख्या बहुत तेजी से कम हुई है। वन्यजीवों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की जिम्मेदारी है। गिद्धों की संख्या का अनुमान अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर लगाया जाता है। देश में गिद्धों की संख्या के अनुमान से संबंधित ब्यौरा मंत्रालय के स्तर पर संकलित नहीं किया जाता है।

गिद्धों की सुरक्षा के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

- (i) भारत में पाई जाने वाली गिद्धों की सभी नौ प्रजातियों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे उन्हें उच्चतम सुरक्षा प्रदान की गई है।
- (ii) अगस्त 2006 में, भारत के औषधि महानियंत्रक ने पशु चिकित्सा में डाइक्लोफेनाक के उपयोग, बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया।
- (iii) मानव उपयोग के लिए डाइक्लोफेनाक की शीशी का आकार 3 मिलीलीटर तक सीमित कर दिया गया है ताकि पशुओं के उपचार में इसका दुरुपयोग रोका जा सके।
- (iv) भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में मानव उपयोग के लिए डाइक्लोफेनाक की बहु-खुराक शीशी की पैकेजिंग को एकल खुराक तक सीमित कर दिया है।
- (v) भारत सरकार ने जुलाई, 2023 में पशु चिकित्सा उपयोग के लिए केटोप्रोफेन और एसीक्लोफेनाक और उनके फॉर्मूलेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- (vi) भारत सरकार ने दिसंबर, 2024 तक पशुओं के उपयोग के लिए निमेस्लाइड और इसके फॉर्मूलेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- (vii) बिना डॉक्टर के पर्चे के पशु चिकित्सा संबंधी नॉन-स्टीरायडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी दवाओं की ओवर-काउंटर बिक्री प्रतिबंधित है।
- (viii) मंत्रालय द्वारा नवंबर, 2020 में गिद्ध संरक्षण के लिए एक कार्य योजना शुरू की गई थी।
- (ix) मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्र प्रायोजित योजना 'वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास' के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें "वन्य जीव पर्यावासों का विकास" और "बाघ एवं हाथी परियोजना" शामिल हैं, जिसका उद्देश्य वन्यजीवों का संरक्षण और सुरक्षा तथा गिद्धों सहित पर्यावासों में सुधार करना है।
- (x) गिद्धों के संरक्षण के लिए वन्यजीव पर्यावासों के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम घटक के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गिद्धों को 22 प्रजातियों में से एक प्रजाति के रूप में अभिज्ञात किया गया है।
- (xi) पूरे भारत में आठ गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

\*\*\*\*\*